

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जून 2014—आषाढ 7, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ-ए-3-36-2014-1-पांच (21).—यतः, राज्य सरकार का यह विचार है कि मध्यप्रदेश विक्रय कर (केंद्रीय) नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए;

अतएव, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) प्ररूप 5 में,—

(एक) भाग घ में,—

(क) मद 3 के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“3 के इस वित्तीय वर्ष की पूर्ववर्ती तिमाही से अग्रणीत भुगतान का आधिक्य.”;

(ख) मद 7 के स्थान पर, निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“7. कुल क्रेडिट (3क+4+5+6)”;

(दो) भाग घ के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“भाग ड माल के अंतर्राज्जीय अभिवहन का विवरण

अनुक्रमांक	इनवाईस क्रमांक और तारीख	क्रेता व्यापारी का टिन	क्रेता व्यापारी का नाम	क्रेता व्यापारी का राज्य/ भारत के बाहर	संव्यवहार का प्रकार	मध्यप्रदेश वेट की अनुसूची/ भाग/ प्रविष्टि क्रमांक	वस्तु (ऐच्छिक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

मध्यप्रदेश में वेट की दर	विक्रय मूल्य (सीएसटी सहित)/ स्टॉक ट्रांसफर मूल्य	क्या विक्रय घोषणा प्ररूप के विरुद्ध है? (सी, आई, एफ, एच/बिल आफ लेडिंग कोई नहीं)	घोषणा प्ररूप क्रमांक यदि उपलब्ध हो	बिल्टी/रेल्वे रिसीट क्रमांक और तारीख	यदि विक्रय, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन पश्चात्वर्ती विक्रय है.	विक्रेता व्यापारी का टिन	विक्रेता व्यापारी का इनवाईस क्रमांक और दिनांक	विक्रेता व्यापारी का राज्य	ई 1/ई 2 क्रमांक
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

नोट.— कर मुक्त माल एक ही पंक्ति में जोड़े जा सकते हैं.”

(2) प्ररूप छह के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप छह

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन प्राप्त प्ररूपों के ब्यौरे, जो पूर्व में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं

[नियम 7-क (2) देखिए]

व्यापारी का नाम

टिन

अनुक्रमांक	टिन	इनवाईस क्रमांक	घोषणा प्ररूप क्रमांक	जारी करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

”.

(3) यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2014

क्र. एफ ए-3-36-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-36-2014-1-पांच (21), दिनांक 28 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अश्विनी कुमार राय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th June 2014

No.F-A-3-36-2014-1-V(21).—WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957 should be made;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3), (4) and (5) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Sales Tax (Central) Rules, 1957, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In Form V,—

(i) In Part D,—

(a) after item 3, the following item shall be inserted, namely:—

“3A. Excess payment brought from previous quarter of this Financial Year.”;

(b) for item 7, the following item shall be substituted, namely:—

“7. Total credit (3A+4+5+6)”;

(ii) after Part D, the following Part shall be inserted, namely:—

“Part E : Details of Inter-State movement of goods—

S. No.	Invoice No. and date	TIN of purchasing dealer	Name of purchasing dealer	State of purchasing dealer/out of India	Type of Transaction	Schedule/Part/Entry No. of MPVAT	Commodity (optional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Rate of Tax in MPVAT	Sale Value (including CST)/ Stock Transfer Value	Whether sale is against Declaration Form? (C, I, F, H/Bill of Lading None	Declaration Form No., if available	Builty/Railway Receipt No. and date	If Sale is subsequent of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)	Sale under section 6 (2) of the Central Sales Tax Act, 1956	E1/E2 No.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Note.— Tax free goods can be clubbed into single row.”.

(2) For Form VI, the following Form shall be substituted, namely:—

“ Form-VI

Details of Forms received under the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) not previously submitted

[See rule 7-A (2)]

Name of Dealer
TIN

S. No.	TIN	Invoice No.	Declaration Form No.	Date of issue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

”.

(3) This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHWINI KUMAR RAI, Principal Secy.